

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016/वैशाख 19, 1938

No. 190]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/ VAISAKHA 19, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 अप्रैल, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,

(बीमांकक की योग्यता) (निरसन) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/8/120/2016.— बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उप-धारा (1) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और 26 के साथ संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जेडडी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकक की योग्यता) विनियम, 2004 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निरस्त करता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.111/4/असा./70(161)]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 7th April, 2016

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(QUALIFICATION OF ACTUARY) (REPEAL) REGULATIONS, 2016**

F.No.IRDAI/Reg/8/120/2016 .—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of Section 114A read with sub-section (1) of section 2 of Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby repeals the Insurance Regulatory and Development Authority (Qualification of Actuary) Regulations, 2004 with effect from the date of publication in the Official Gazette.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty./70(161)]